

# मजदूर मोर्चा

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in  
www.mazdoormorcha.com

पाक्षिक

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

वर्ष : 27

अंक : 17

फ़रीदाबाद, बुधवार, 16-31 जुलाई 2014

फोन :- 9999595632

₹ 2

## बजट में 'कालाधन' और 'भ्रष्टाचार' नदारद कहां छिपे हैं मोदीपरस्त रामदेव और अन्ना हजारे!

मोदी-जेटली के पहले बजट को उनके पीछे खड़ी पूंजी की लॉबी भी कांग्रेस बजट ही बता रही है। वही दिशा, वही पाखंड और वही लीपापोती! 95 प्रतिशत भाषा भी वही जो कांग्रेसी वित्तमन्त्री चिदम्बरम ने चुनाव-पूर्व अन्तरिम बजट में इस्तेमाल की थी। मजदूर और किसान को उसके हाल पर छोड़ दिया गया और महंगाई व भ्रष्टाचार का जिक्र तक नहीं। देशी-विदेशी पूंजीशाहों की लूट के लिये नये दरवाजे खोले गये और पुराने चौड़े किये गये।

मजदूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

10 जुलाई को पेश हुए भाजपाई बजट को आसानी से कांग्रेसी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्ष में पेश किये किसी भी बजट का जुड़वा कहा जा सकता है।

बस फ़र्क यह है कि कांग्रेसी दौर में महंगाई और भ्रष्टाचार पर उनकी चुप्पी इतनी खलती नहीं थी जितनी भाजपाईयों की खलती है।

यह चुप्पी कितनी व्यापक है, उसका अंदाज़ा इसी से लग जाता है कि काले धन के खिलाफ़ मोर्चा सम्भालने वाले रामदेव और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आग उगलने वाले अन्ना हजारे ऐसे गायब हुए हैं जैसे उन्हें सांप सूँघ गया है। बजट में एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो कालेधन को रोकने या पकड़ने की बात करता हो। उल्टे तमाम ऐसी रियायतें दी गयी हैं जो काले धन के निवेश को बढ़ावा देने वाली सिद्ध होंगी।

इसी तरह पिछली सरकार को अकर्मण्यता और फिजूलखर्ची के लिये तो कोसा गया है पर इन्हें दूर करने के लिये ऐसे किसी उपाय की बात नहीं की गयी है जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता हो। बजट से कुल मिलाकर ध्वनि यह निकलती है कि भ्रष्टाचार का मामला

भ्रष्टाचारी के विवेक पर ही छोड़ दिया जाय।

रोज़गार की स्थिति को लेकर भी बजट में पूरी दिशाहीनता और कोरी लफ्फाजी है। कुल मिलाकर विदेशी निवेश और देशी पूंजीपतियों को दी गयी छूट के दम पर ही उम्मीद की जा रही है कि रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। पर ऐसा दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था में न हुआ है और न भारत में होने जा रहा है। दरअसल स्वयं यूरोप में यूनान, स्पेन और इटली जैसे ताज़ा तरीन असफल उदाहरण सामने हैं जो इस मॉडल की व्यर्थता को सिद्ध करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की मनरेगा जैसी प्रणाली पर तो सवालिया निशान ही खड़ा कर दिया गया है।

एक ओर मोदी सरकार की काले

धन पर चुप्पी को लेकर रामदेव की अपनी चुप्पी शंका को जन्म देती है। ध्यान रहे कि कांग्रेसी सरकार ने रामदेव के विरुद्ध भूमि घोटालों और धोखाधड़ी



आ तो गये अच्छे दिन

के दर्जनों मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। इससे निपटने के लिये रामदेव को मोदी का सहारा चाहिये। क्या इसी लिये उनकी बोलती बंद है?

दूसरी तरफ़ अन्ना हजारे ने मानो 'लोकपाल' को पूरी तरह भुला दिया है। वरना लोकपाल बिल पास हुए महीनों बीत चुके हैं और अभी तक वह पैन्ल भी नहीं बना है जिससे लोकपाल चुना

जाना है। ध्यान रहे कि 12 वर्ष तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेन्द्र मोदी ने राज्य में लोकायुक्त नहीं लगने दिया था। अब भी जानबूझकर लोकसभा में नेता विपक्ष पर विवाद चलाया जा रहा है ताकि लोकपाल चुनने की प्रक्रिया रूकी रहे। यानी न नेता विपक्ष होगा और न लोकपाल चुनने वाला कोरम होगा। मोदी को किसी न किसी बहाने

से लोकपाल को जहां तक बन सके टालना ही अभीष्ट है। बजट तो महज एक बानगी है। कुछ इस बात का भी बजट पर असर दिखता है कि 3 महीने बाद देश के 3 प्रमुख राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होनेवाले हैं। यानी तब तक मुखोटा कायम रखने की कोशिश की जायेगी। उसके बाद तो खुला खेल खेलना तय है। अमीर की बात और गरीब को लात!

खबरदार

## हरियाली रास आ रही है जज स्वतन्त्र कुमार को भी

जज कुलदीप सिंह व वकील एम सी मेहता दिखा गये थे राह

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का चैयरमैन पद दिसम्बर 2012 में सम्भालने के बाद, जज स्वतंत्रकुमार ने इस सुप्तप्राय महकमे को कामधेनु गाय का रूप देने में कई मंजिलें तय कर ली हैं। पर्यावरण सम्बन्धी तमाम मामलों के निपटारे के लिये बनाये गये इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनने के लिये स्वतंत्र कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय की जज की कुर्सी रिटायरमेंट से कुछ हफ्तों पहले छोड़ दी थी। ऐसा इसलिए कि इस प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष जज लोकेश्वर सिंह रिटायर हो गये थे और स्वतंत्र कुमार को डर था कि यदि उसने तुरन्त खाली पड़ी कुर्सी नहीं पकड़ी तो कोई और इसे हथिया लेगा।

इस बीच जनवरी 2014 में स्वतंत्र कुमार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की एक महिला प्रशिक्षु वकील से छेड़छाड़ का मामला भी बाहर आया जिस पर कार्यवाही जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोका हुआ है। हालांकि न्यायिक क्षेत्र में स्वतंत्र कुमार की साख ऐसे मामलों में कमजोर ही बताई जाती है।

जाहिर है स्वतंत्र कुमार जैसा व्यक्ति हरित प्राधिकरण में पर्यावरण का ख्याल रखने तो आया नहीं है। जल्द ही उसे इन मामलों में छिपी अपार सम्भावनायें नजर आने लगी होंगी। मार्ग दर्शन के लिये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुलदीप सिंह

और उनके चहेते वकील एम सी मेहता की जोड़ी के कारनामे सामने थे। कुलदीप सिंह दिसम्बर 1988 से दिसम्बर 1996 तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहा। इस दौरान उसे ग्रीन जज के नाम से जाना जाता था। मेहता की साझेदारी में कुलदीप सिंह ने जनहित याचिका को हथियार बना कर पर्यावरण के मुद्दे पर तमाम पिटारे खोल दिये। दोनों का तरीका ए वारदात होता था-मेहता किसी मोटी आसामी (बड़ा उद्योग) के खिलाफ पर्यावरण उल्लंघन का मामला दायर करता; कुलदीप सिंह उस मोटी आसामी के कारोबार

पर रोक लगा देता; और मामला पेशी दर पेशी चलता रहता। इस बीच मोटी आसामी की मेहता से सौदेबाजी पक्की हो जाने पर कुलदीप सिंह द्वारा स्टे उठा लिया जाता। यह खुला खेल कुलदीप सिंह के अवकाशग्रहण के साथ ही खत्म हो गया। उस दौरान मेहता को अन्तर्राष्ट्रीय मेगासैसै पुरस्कार भी दिया गया था जो एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। आज मेहता कहां हैं और उसका पर्यावरण अभियान कहां है, कोई नहीं जानता।

यही खेल अब स्वतंत्रकुमार हरित प्राधिकरण के माध्यम से खेल रहे हैं। एक मामले में उन्होंने नौएडा और दिल्ली की सीमा पर स्थित कालिंदी कुंज पक्षी विहार के

चारों ओर 10 किलोमीटर का क्षेत्र सुरक्षित घोषित कर दिया। जून 1990 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना नदी पर स्थित कालिंदी कुंज को पक्षी विहार के रूप में घोषित किया था। सन् 2002 में राष्ट्रीय वन्य-प्राणी बोर्ड ने निर्देश दिया कि हर पशु-पक्षी विहार के चारों तरफ़ एक सुरक्षित दायरा निश्चित किया जाये। यू पी सरकार ने कालिंदी कुंज को लेकर ऐसा कोई दायरा निश्चित नहीं किया और सन् 2006 से लेकर नौएडा प्राधिकरण ने आस-पास सैंकड़ों आवासीय भूखंड काटने व बेचने शुरू कर दिये। आज वहां हजारों की संख्या में बहुमंजलीय इमारतें व दर्जनों बड़े व्यवसायिक केन्द्र, मेट्रो रेल इत्यादि आ चुके हैं। दरअसल 10 किलोमीटर के दायरे में तो दिल्ली की तमाम कालोनियां सरिता विहार से लाजपत नगर तक कई बड़े होटल और एम्स जैसे अस्पताल तक आ जायेंगे। यूपी सरकार और राष्ट्रीय प्राणी बोर्ड के बीच की कशमकश के चलते सितम्बर 2013 में एक किलोमीटर का दायरा सुरक्षित घोषित किया गया। नौएडा के एक तथाकथित पर्यावरणविद अमित कुमार ने वकील गौरव बंसल की मार्फ़त अक्टूबर 2013 में मामला स्वतंत्र कुमार के सामने दायर कर दिया। इन्होंने 2006 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फ़ैसले को उद्धृत किया जिसमें यह व्यवस्था दी गयी थी कि यदि राज्य सुरक्षित दायरा घोषित नहीं करता तो 10 किलोमीटर के क्षेत्र को सुरक्षित दायरा माना जायेगा।

शेष पेज दो पर

## परिवारवाद बनाम मोदीवाद

जिस तरह सरकार के साथ-साथ पार्टी पर भी नरेन्द्रभाई मोदी का शिकंजा कसता जा रहा है, वह दिन दूर नहीं जब मोदीवाद उसी तरह चर्चा में होगा जैसे नेहरू-गांधी खानदान का परिवारवाद सुर्खियां बटोरता है। नेहरू-गांधी परिवारवाद को तो फिर भी अपनी सरकारों और पार्टी के ढांचों में कुछ न कुछ संतुलन बनाने की मजबूरी देखी जा सकती है। पर मोदीवाद इस कदर बेलगाम है कि वह किसी सीमा को शायद ही स्वीकारे।

मोदीवाद की सर्वप्रमुखता को आज के दिन आर एस एस की लाचारी में भी देखा जा सकता है। कहां भाजपा के हर निर्णय को संघ की मुहर की जरूरत होती थी और अब हालत यह है कि मोदी का निर्णय ही संघ का निर्णय भी बन जाता है। दो उदाहरणों से मोदीवाद के रोडरोलर के असर को सभी ने महसूस किया। ट्राई के अवकाश प्राप्त चैयरमैन नृपेन्द्र मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनवाने के लिये पहले अध्यादेश लाया गया और अब 'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण' (ट्राई) संशोधन विधेयक 2014 लाया गया है। एक व्यक्ति के लिये अध्यादेश और विधेयक लाना अभूतपूर्व मिसाल है।

यदि मोदीवाद की पुख्ता होती ज़मीन पर किसी को शक था तो वह हत्यारोपी और एक महिला की गैरकानूनी निगरानी कराने वाले अमितशाह के भाजपा अध्यक्ष बनाये जाने से दूर हो गया। अमितशाह पर षड़यन्त्र और जालसाजी जैसे उलझे हुए आपराधिक मामले चल रहे हैं, उनसे जल्दी छुटकारा पाना शाह के लिये संभव नहीं है। फिर भी मोदी के सबसे घनिष्ठ राजद्वार होने के नाते उन्हें ही पार्टी के अध्यक्ष पद पर आसीन किया गया। पार्टी और संघ के पास चुपचाप अमितशाह की जयजयकार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था।

यानी मोदी जिस दिशा में चुटकी बजाते हैं, सबके लिये उसी दिशा में देखने की बाध्यता हो जाती है। यह मोदीवाद कांग्रेस के परिवारवाद से कहीं ज्यादा घातक सिद्ध होने वाला है। कांग्रेसी परिवारवाद की एक आदर्शवादी छवि है, जिसे 'परिवार' को जीना पड़ता है। जबकि मोदीवाद में सिर्फ और सिर्फ स्वेच्छाचारिता है जो सरकार और पार्टी को ही नहीं भारतीय समाज को भी तानाशाही भरे रास्ते पर ले जा सकती है।